# उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

## विविध फौजदारी प्रार्थनापत्र संख्या 1589 सन् 2022

श्रीमती प्रेम अरोरा ..... आवेदक

बनाम

मैसर्स रूंगटा एवम् सन्स ..... उत्तरदातागण

अधिवक्ता – श्री ललित शर्मा, आवेदक की ओर से अधिवक्ता

**माननीय न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा**

वर्तमान सी–482 याचिका के माध्यम से आवेदक द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 3620/2018 मैसर्स रूगटा एवम् सन्स बनाम मैसर्स इनोवेशन पालीमर्स और अन्य में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर द्वारा धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र पर पारित अस्वीकृति आदेश दिनांकित 20–07–2022 को चुनौती दी गई है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदन, जिसे उसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दायर किया गया है, उसके लिए आवश्यक हो गया है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 प्रस्तुत कर दो साक्षियों को बुलाए, साथ ही दस्तावेजों, जो अनुतोष खण्ड में वर्णित हैं, तलब कराए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को स्वीकार न करने के दो कारण हैं।

3. पहला कारण यह कि विचारण की कार्यवाही में उसके द्वारा पहले ही दिनांक 10–01–2020 को आवेदन के साथ साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर दी गयी थी जिन्हें वह प्रतिरक्षा में परीक्षित कराना चाहती थी जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी भी थे जिनसे उसके द्वारा परीक्षा की गई थी। गवाहों को 10–01–2020 को बन्द कर दिया गया था और उसके बाद अभियोजन पक्ष के गवाह शुरू हो गये थे। यदि इन दस्तावेजों को समन करने का औचित्य था तो यह और भी आवश्यक था कि आवेदक को दस्तावेजों को समन करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत उचित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के प्रावधानों के तहत गवाहों को बुलाने की आड़ में दस्तावेजों को समन करने के एक तरीके के रूप में वैकल्पिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 91 व 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता निहितार्थ में स्वतन्त्र है और उन्हें उनके आशय में एक आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता और वह भी तब जब आवेदक ने 10–01–2020 को आवेदन दायर कर उन गवाहों की सूची देकर जिनसे वह पूछताछ करना चाहता था, एक सचेत कार्य किया था और अगर उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के डी.जी.एम. या जी.आर.पी. मुरादाबाद के प्रभारी को गवाह के रूप में न बुलाने का विकल्प चुना जो उसकी जानकारी में बहुत अच्छी तरह से था, जब उसने 06–11–2017 को उक्त परिवाद परिवाद दर्ज कराया या पश्चातवर्ती स्तर पर, तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन का वैकल्पिक सहारा मान्य नहीं होगा।

5. उस अवधि को पूरा करने के लिए जो 13–06–2022 को आवेदन दाखिल करने में लगी हुई है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से तर्क दिया गया कि आवेदन में उल्लिखित उपरोक्त दो दस्तावेजों की जानकारी आवेदक को देर से मिली थी लेकिन दुर्भाग्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत आवेदन में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि आवेदक किस तारीख को उस दस्तावेज, जिसकी धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग कर तलब करने की मॉग की जा रही है, की जानकारी एकत्र कर सकता है।

6. दण्ड प्रक्रिया संहिता ने प्रक्रियात्मक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए विशिष्ट आशय के साथ, जिसका विचारण के संचालन के दौरान एक न्यायालय को सामना करना पड़ सकता है, प्रक्रियात्मक कानून को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के विभिन्न सेट प्रदान किए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अध्याय 7 में वर्णित है। यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो यह न्यायालय या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अन्वेषण, जॉच या विचारण के लिए आवश्यक या ववांछनीय किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति का अनन्य प्रयोग है। इसका अर्थ है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का दायरा केवल एक

दस्तावेज या अन्य चीजों को बुलाने के उद्देश्यों तक ही सीमित है, न कि व्यक्तियों के लिए। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का आशय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 से पूर्ण रूप से भिन्न है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 24 के अंतर्गत आती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 निम्न प्रकार है :–

> **''311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।''

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 न्यायालय में निहित ऐसी शक्ति है जिसके तहत न्यायालय जॉच/विचारण के किसी भी प्रक्रम पर किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 अनन्य रूप से अध्याय 24 के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति को समन करने के लिए है न कि धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 इसे पूरा करने का एक अलग विधायी आशय है और इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत निहित प्रावधानों के विकल्प के रूप में या विपरीत नहीं पढ़ा जा सकता है।

8. उस स्थिति में, इस न्यायालय का विचार है कि सबसे पहले दस्तावेज की जानकारी का स्रोत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत आवेदन में वर्णित नहीं है तो विलम्बित स्तर पर दायर आवेदन को विलम्ब के आधार पर या मुकदमे की कार्यवाही में देरी करने के इरादे के आधार पर खारिज नहीं किया गया है बल्कि तथ्यों पर सम्यक् विचार करने

के उपरान्त इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि बचाव साक्ष्य पहले ही बन्द हो चुका है और आवेदक 10–01–2020 को पहले ही अपने गवाहों की सूची दाखिल कर चुकी है।

9. ऐसी स्थिति में निर्णय जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आधार बनाया गया है जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा सी–482 प्रार्थनापत्र संख्या 12409/2022 मधुसूदन शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित किया गया और विशेष रूप से पैरा 15 का सन्दर्भ दिया गया है कि केवल विचारण में देरी या विचारण में देरी का आशय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मन्जू देवी बनाम राजस्थान राज्य (2019) 6 एस0सी0सी0 203** में अवधारित किया गया है, उपरोक्त दिये गये कारण से वर्तमान मामले के तथ्य–परिस्थितियों में लागू होने योग्य नहीं है।

10. इसलिए सी–482 आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है। तद्नुसार उसे खारिज किया जाता है।

**(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)**
15.09.2022